भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न सं. \*59

जिसका उत्तर शुक्रवार, 14 दिसम्बर, 2018 को दिया जाना है

**न्यायालयों में आन्तरिक शिकायत समितियों का गठन किया जाना**

**\*59 श्रीमती वंदना चव्हाण :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महिलाओं का कार्यस्थल पर लैगिंक उत्पीडऩ (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों पर लागू होता हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) यदि लागू होता है, तो क्या उच्चतम न्यायालय, किसी उच्च न्यायालय और अन्य अधीनस्थ न्यायालय ने इस अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत आंतरिक शिकायत समिति गठित की है तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन आंतरिक शिकायत समितियों के समक्ष दायर किए गए मामलों की संख्या कितनी-कितनी है ?

**उत्तर**

**विधि और न्याय तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद)**

**(क) से (ग) :** एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

**"न्यायालयों में आन्तरिक शिकायत समितियों का गठन किया जाना" के संबंध में राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या \*59 जिसका उत्तर तारीख 14.12.2018 को दिया जाना है के भाग (क) से (ग) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण**

**(क) से (ग) :** महिलाओं का कार्यस्‍थल पर लैंगिक उत्‍पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 की धारा 2 (परिभाषाएं) के अनुसार अन्‍य बातों के साथ, विभाग, संगठन, उपक्रम, स्‍थापन, उद्यम, संस्‍था, कार्यालय, शाखा या ईकाई जो केंद्रीय सरकार/राज्‍य सरकारों द्वारा प्रत्‍यक्ष या अप्रत्‍यक्ष रुप से प्रदत्‍त निधियों द्वारा स्‍थापित, स्‍वामित्‍वाधीन, नियंत्रणाधीन अथवा पूर्णतः या सारतः वित्‍त पोषित हैं, समाविष्‍ट होते हैं

आंतरिक शिकायत समितियों के गठन और इस संबंध में दाखिल मामलों की संख्‍या के संबंध में सूचना न्‍याय विभाग द्वारा एकत्रित की और रखी नहीं जाती क्‍योंकि भारत का उच्‍चतम न्‍यायालय और संबंधित उच्‍च न्‍यायालय संविधानिक प्राधिकरण हैं और न्‍यायाधीशों/न्‍याय अधिकारियों और अधीनस्‍थ न्‍यायालयों के कर्मचारिवृंद सदस्‍यों का अनुशासनिक प्राधिकारी संबंधित उच्‍च न्‍यायालय और राज्‍य सरकारें हैं ।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*